तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 16/2025 (2025/77) अनवान जमुदेवी वगैरा बनाम खम्मादेवी वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि राजस्व गांव सेवालानगर पटवार क्षेत्र शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 224 रकबा 0.0243 गैर मुमकिन ढाणी व खसरा संख्या 225 रकबा 4.5648 कृषि भूमि आयी हुई है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पडोस मे ही अप्रार्थीगण 1 से 10 के स्वंय की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 226 रकबा 2.2824 व खसरा संख्या 226/1 रकबा 2.2662 तथा खसरा संख्या 226/2 रकबा 2.2662 कृषि भूमि मौजा ग्राम सेवाला नगर पटवार क्षेत्र शिकारपुरा तहसील लूणी जोधपुर में स्थित जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार लूणी के आदेश क्रमांक सं. 55 दिनांक 22.04.2025 को सीमाकंन करने के आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 27.05. 2024 को राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान करवा दिया गया। परन्तु मौके पर तरमीम नही हो पाई तथा अप्रार्थीगण 1 से 10 द्वारा उक्त मौका फर्द बनाने के पश्चात भी नाजायज तरीके से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली खातेदारी की भूमि की माटो को खुर्द बुर्द कर दिया गया। इसलिए ग्राम सेवालानगर के खसरा संख्या 224 रकबा 0.0243 गैर मुमकिन ढाणी व खसरा संख्या 225 रकबा 4.5648 कृषि भूमि का राजस्व नक्शें अनुसार एवं मौका फर्द दिनांक 27.05.2025 के अनुसार नेकम बन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को भेजे गये नोटिस की रजिस्टर ऐडी की रसीदे वकील प्रार्थी ने पेश की जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं है। तहसीलदार लूणी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/4182 दिनांक 31.12.2025 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के सलंग्न मौका फर्द दिनांक 26.12.2025 के अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 224 एवं 225 पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण होना बताया गया। उक्त फर्द मौका में अंकित नजरी नक्शे में उक्त अतिक्रमण को लाल स्याही से दर्शाया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का अपने खातेदारी खसरा नम्बर 224 एवं 225 की कृषि भूमि पर आंशिक भाग पर कब्जा नही है। अतः इन परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	